भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 235
04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक खेती में युवाओं की भागीदारी
***235. श्री वी. वैथिलिंगमः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) रसायन मुक्त भोजन के लिए उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग, पर्यावरण संबंधी जागरूकता और कृषि में प्रौद्योगिकीय प्रगति के फलस्वरूप युवाओं के लिए एक स्थायी करियर और उद्यमिता के अवसर के रूप में जैविक खेती के उद्भव के संबंध में सरकार द्वारा क्या आकलन किया गया है;

(ख) जैविक खेती में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों, प्रमाणन सहायता, विस्तार सेवाओं और क्षमता निर्माण संबंधी पहलों सहित किए गए अन्य नीतिगत उपायों, चलाए गए कार्यक्रमों और स्थापित किए गए संस्थागत ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए जैविक कृषि पद्धतियों के साथ डिजिटल मार्केटप्लेस और प्रौद्योगिकी-समर्थित कृषि प्रबंधन पद्धतियों सहित कृषि प्रौद्योगिकी समाधानों को एकीकृत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) ग्रामीण व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ करने, कृषि ऋण को सुलभ बनाने और संधारणीय कृषि में लगे युवा किसानों को प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए क्या पहल शुरू की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा जैविक उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखलाओं को विकसित करने, ब्रांडिंग और बाजार उपलब्धता को बढ़ावा देने तथा घरेलू और निर्यात अवसरों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“जैविक खेती में युवाओं की भागीदारी” के संबंध में दिनांक 04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 235 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ): सरकार वर्ष 2015-16 से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दो स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है: 'परंपरागत कृषि विकास योजना', जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित है, और 'पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन', जो पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित है। दोनों स्कीमें युवा किसानों सहित जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रारंभ से अंत तक अर्थात उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग तक सहायता देने पर बल देती हैं। इन स्कीमों का मुख्य उदेश्य आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाना है।

परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों तक प्रति हेक्टेयर ₹31,500 की सहायता दी जाती है। इसमें से, युवा किसानों सहित किसानों को ऑन-फार्म या ऑफ-फार्म उपयोग होने वाले ऑर्गेनिक खाद सहित ऑर्गेनिक इनपुट के लिए 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' के माध्यम से प्रति हेक्टेयर ₹15,000 की सहायता दी जाती है। मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, वैल्यू एडिशन आदि के लिए 3 वर्षों तक प्रति हेक्टेयर ₹4,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। सर्टिफिकेशन के लिए 3 वर्षों तक प्रति हेक्टेयर ₹3,000 दिए जाते हैं। ट्रेनिंग, जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए भी 3 वर्ष में प्रति हेक्टेयर ₹9,000 की सहायता दी जाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के तहत, किसान उत्पादक संगठन का गठन करने और युवा किसानों सहित अन्य किसानों को जैविक इनपुट आदि के लिए सहायता के रूप में पर 3 वर्ष में प्रति हेक्टेयर ₹46,500 दिए जाते हैं। इसमें से, किसानों को ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रति हेक्टेयर ₹32,500 की सहायता दी जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में ₹15,000 भी शामिल हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के कार्यकलापों के लिए 3 वर्षों तक प्रति हेक्टेयर ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य स्तर पर मूल्य श्रृंखला मार्केटिंग के लिए 3 वर्षों तक प्रति हेक्टेयर ₹4,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

सरकार ने छोटे किसानों को इन लाभों को उठाने में सहायता करने के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन शुरू किया है, जिससे कृषि पद्धतियों को अधिक सतत, समृद्ध और लाभकारी बनाया जा सके। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 'पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम' (पीजीएस-इंडिया) ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कार्यान्वित कर रहा है। अब तक पीजीएस-इंडिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत 16.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सत्यापित किया गया है, जिससे 24.14 लाख किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है। पीजीएस-इंडिया

के तहत जैविक खेती के लिए अब तक 500 से अधिक ब्रांड विकसित किए गए हैं, जिन्हें बाज़ार में अच्छी और स्थिर कीमतें प्राप्त हुई हैं। पीजीएस-इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत विकसित किए गए प्रमुख ब्रांडों में प्योर एंड श्योर (बेंगलुरु), स्वदेशम ऑर्गेनिक्स (उत्तर प्रदेश), ऑर्गेनिक हिमाचल, ऑर्गेनिक झारखंड, केरल ऑर्गेनिक, सहजा आहारम (हैदराबाद), तमिलनाडु ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, आदिम ऑर्गेनिक (दंतेवाड़ा), ऑर्गेनिक उत्तराखंड, नमामि गंगे जैविक काशी आदि शामिल हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के तहत, सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों ने अपने खुद के जैविक उत्पाद ब्रांड बनाए हैं, जिनके नाम हैं; ऑर्गेनिक अरुणाचल (अरुणाचल प्रदेश), ऑर्गेनिक मणिपुर (मणिपुर), मिशन ऑर्गेनिक मिजोरम (मिजोरम), नागा ऑर्गेनिक (नागालैंड), सिक्किम ऑर्गेनिक (सिक्किम), मेघा (मेघालय) और त्रिपुरा ऑर्गेनिक (त्रिपुरा), असोमा (असम), जिनका उपयोग उनके जैविक उत्पाद की मार्केटिंग के लिए किया जाता है।

नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जो जैविक उत्पादों के लिए एक थर्ड-पार्टी सर्टिफ़िकेशन है, को निर्यात और व्यापक स्तर पर घरेलू उत्पादन के लिए एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। वर्ष 2025-26 तक, 39.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र एनपीओपी ऑर्गेनिक सर्टिफ़िकेशन के तहत सत्यापित हो चुका है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफ़िकेशन के तहत विकसित प्रमुख ब्रांडों में मंत्रा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इंडिया, नेचरलैंड ऑर्गेनिक्स, मोरारका आदि शामिल हैं। ऑर्गेनिक उत्पाद अब 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान, अपेडा ने 3,03,249.40 मीट्रिक टन जैविक उत्पादों का निर्यात किया है। निर्यात के मुख्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इज़राइल, सऊदी अरब, श्रीलंका, जापान, चीन आदि शामिल हैं। जैविक खेती युवाओं और किसानों के लिए उत्पादन, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग जैसी गतिविधियों में एक सतत करियर और उद्यमिता का अवसर बनकर उभरी है।

इसके अलावा, सरकार बाज़ार-केंद्रित उपायों के माध्यम से प्राकृतिक/जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। 'किसान उत्पादक संगठन' स्कीम के तहत गठित किए गए 10,000 एफपीओ में से 185 एफपीओ के ऑर्गेनिक/प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया है। साथ ही, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के तहत 479 एफपीओ गठित किए गए हैं, जो जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं।

सहकारिता मंत्रालय के तहत नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, "भारत ऑर्गेनिक्स" ब्रांड के तहत सर्टिफाइड जैविक उत्पादों की खरीद, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के माध्यम से सर्टिफाइड जैविक खेती को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने 28

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य नोडल एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और 14,550 सहकारी समितियों को अपने सदस्य के तौर पर शामिल किया है। एनसोओएल ने 28 से अधिक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक उत्पाद लॉन्च किए हैं, जिनमें गेहूं का आटा, चावल, दलहन, गुड़, ब्राउन शुगर, खांडसारी चीनी, सूखे मेवे, शहद, घी और एप्पल साइडर विनेगर शामिल हैं। इन उत्पादों की मार्केटिंग रिटेल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नेटवर्क के माध्यम से की जाती है, जिनमें सफल (मदर डेयरी), नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आउटलेट, अमेज़न, ज़ेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट, रिलायंस रिटेल, बिगबास्केट और दूसरे माध्यम शामिल हैं। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की मार्केटिंग से लगभग ₹40 करोड़ की बिक्री हासिल की है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत 'एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ़ इंडिया' द्वारा केंद्र सरकार की स्कीमों (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) की सहायता से जैविक खेती पर वोकेशनल कोर्स का संचालन किया जाता है। वर्ष 2021-2022 से 2026-2027 तक, 'ऑर्गेनिक कल्टीवेटर (छोटी यूनिट)' कोर्स के लिए 1,085 छात्र, 'ऑर्गेनिक फार्म और बिज़नेस प्रमोटर' कोर्स के लिए 217 छात्र, 'ऑर्गेनिक ग्रोअर' कोर्स के लिए 21,792 छात्र और 'छोटे ऑर्गेनिक कल्टीवेटर' कोर्स के लिए 1,711 छात्र नामांकित हुए हैं।

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में कृषि के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मिट्टी की उर्वरता तथा प्रोफ़ाइल के व्यापक मैप के सृजन और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की आईटी पहलों को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है ताकि किसानों, फसलों, पशुधन और मत्स्य पालन संबंधी सूचनाओं के एक व्यापक स्रोत की उपलब्धता और किसानों पर केंद्रित डिजिटल समाधान के साथ देश में एक सुदृढ़ डिजिटल कृषि इकोसिस्टम को सक्षम किया जा सके। एग्रीस्टैक किसानों पर केंद्रित एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे किसानों तक सेवाओं और स्कीमों को कुशलतापूर्वक, आसानी से और तेज़ी से पहुँचाने के लिए एक सार्वजनिक सुविधा के रूप में तैयार किया गया है। यह प्रत्येक किसान की व्यापक प्रोफ़ाइल उनके व्यवसाय के निरपेक्ष प्रदान करता है; इसमें किसान का विवरण, भूमि के रिकॉर्ड, उगाई जाने वाली फसलें और पशुधन व मत्स्य पालन जैसी परिसंपत्तियां शामिल हैं। इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन मूलभूत रजिस्ट्री शामिल हैं - किसान रजिस्ट्री, जियो-रेफरेंस्ड विलेज मैप्स और फसल बुवाई रजिस्ट्री - जिन्हें राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाया और अनुरक्षित रखा जाता है।

कृषि राज्य का विषय है। सरकार, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों के विस्तार सहित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। कृषि पर आधारित उद्योगों को सहायता देने के लिए, 'एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' फार्मगेट पर फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवहार्य कृषि

परिसंपतियों जैसे कि वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, गोदाम और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को बनाने के उदेश्य से पात्र ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से मध्यम और दीर्घकालिक वित्तपोषण की सुविधा देता है। इस स्कीम के तहत 7 वर्ष तक के लिए अधिकतम 9% की ब्याज दर पर ऋण मिलता है, जिसमें 3% का ब्याज अनुदान और ₹2 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी कवरेज भी शामिल है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन, जैसे कि वर्मीकम्पोस्ट यूनिट को भी सहायता दी जाती है। अब तक 681 ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गई है और ₹1183.83 करोड़ का ऋण मंज़ूर किया गया है।

सरकार, देश में नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देने के उदेश्य से वित्तीय सहायता देकर और इनक्यूबेशन इकोसिस्टम तैयार कर 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' के तहत "इनोवेशन और एग्री-एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट" प्रोग्राम कार्यान्वित कर रही है। स्टार्टअप्स के तहत जैविक खेती सहित कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में कई तरह की परियोजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं।

सरकार देशभर के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'संशोधित ब्याज अनुदान स्कीम' नामक स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जो 100 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। इस स्कीम का उदेश्य सभी किसानों को कृषि और उससे जुड़े कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ₹3.00 लाख तक के ऋण पर 4% की प्रभावी ब्याज दर से आसान और किफ़ायती ऋण प्रदान करना है। सरकार किसानों तक ऋण की सुविधा पहुँचाने के उदेश्य से ई-किसान क्रेडिट कार्ड, जनसमर्थ और किसान ग्रामीण निवेश और ऋण सहायता जैसी टेक्नोलॉजी के उपयोग के अलावा बैंक, राज्य सरकार/केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आदि के माध्यम से नियमित रूप से संचालित किए जाने वाले सूचना, शिक्षा और संचार अभियानों के माध्यम से कई कदम उठा रही है।
